मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२३

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०२३ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २३ का लोप.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २३ का लोप किया जाए.

धारा २४ का लोप.

३. मूल अधिनियम की धारा २४ का लोप किया जाए.

धारा २६ का लोप.

४. मूल अधिनियम की धारा २६ का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अधिनियम में कतिपय विद्यमान उपबंधों के गैर अपराधीकरण के लिए यथोचित संशोधन किए जाने हेतु मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) की धारा २३, २४ और २६ के लोप द्वारा समुचित संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः
तारीख ०९ जुलाई, २०२३

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) से उद्धरण.

* * *

धारा-२३. (१) कोई भी नियोजक या व्यक्ति, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन विरचित किये गये नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबन्ध का अनुपालन करने में, किसी पर्याप्त हेतुक के बिना चूक करेगा, वह दोष सिद्धि पर दो हजार पांच सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने से और जब अपराध चालू रहने वाले प्रकार का अपराध हो तब अपराध के चालू रहने की कालावधि के दौरान, प्रतिदिन के लिए पच्चीस रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा.

(२) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान ऐसे प्राधिकारी की, जो कि विहित किया जाय, पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा और प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा.

धारा-२४. (१) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए ऐसी कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निर्देशक, प्रबन्धक सचिव, या अन्य प्राधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निर्देशक प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी भी इस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) कम्पनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों की अन्य संस्था भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है.

* * * *

धारा २६ इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन के लिए कोई भी अभियोजन उन्हीं तथ्यों के संबंध में, जिनके आधार पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शास्ति अधिरोपित की जा चुकी हो, संस्थित नहीं किया जायेगा.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.